

रामेश्वर - मालाराम 48/2006

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

नाम.....
किरम मुकदमा..... मु.नं..... वर्ष.....

दिनांक आज का पत्र

26-9-18

पत्रावली वेत। काल 3 दिनों को हिसाब से जानें है कि अगली तिथि के पूर्व कमील हो जाए रेसोर्टमेंट के रजिस्टर्ड नोटिस वेत करें अन्यथा अगली तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जावेगी। जप्त का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तत्काल किया जावे। पत्रावली वाले तारीख दिनांक 24-10-18 को पेश हों। पत्रावली में पूर्ण रूप से यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ावा करना है।

24-10-18

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसोर्टमेंट अधिष्ठाता अधिकारी महोदय आज 24-10-18 को पेश हों। अतः पत्रावली पूर्व का चानुवार दिनांक 12-12-18 को पेश हों।

12-12-18

पत्रावली वेत। काल अपील एवं अपीलाट एवं अपील के लिए अपील विलोपन के आदेश समय प्राधिकार के तहत न्यायालय में प्रस्तुत हों। इतजार किया गया कि आवेदन अपीलाट एवं उनके अधिनियम के अंतर्गत अपील अपीलाट जदव हवाई के अंतर्गत भी खारिज की जाती है। निर्णय करें इतजारता प्रस्ताव पेश। प्रकरण के तहत सुनार लेकर नंबर से कागजों के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करके प्रकरण करें।

12/12/18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर- (के.व्ही. सुन्दर)

Web Copy Not Official